कार्यालय संयुक्त निदेशक फायर सर्विस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ।

पत्रांकः 34/जे0डी0/फा0स0/लखनऊ–17(गौतम0)/86. दिनांकः मार्च 11 2017,

सेवा मे,

महाप्रबन्धक (वास्तु एवं नियोजन)
ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण,
गौतमबुद्धनगर।

विषयः **मैसर्स एस0जे0पी0 होटल रिसोर्टस प्रा0 लि0 द्वारा प्लाट न0 जी0एच0–01बी0(1), सेक्टर ईटा–02, ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग भवन मिगसुन विन (टावर सन–1,2,3,4,5,6,7,8,9, एवं 10) कुल 10 टावरों के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः यूआईडी:2017/28075/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/6369/जे0डी0

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से उक्त प्रश्नगत भूखण्ड पर आवासीय भवन निर्माण हेतु मानचित्र एवं प्रश्नोत्तरी उपलब्ध कराते हुए अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर से किया गया है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रो का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी सूरजपुर ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर श्री मतलूब हुसैन से कराया गया तो उनके द्वारा अपनी संस्तुति आख्या दिनांकः 04–03–2017 मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर श्री रामराजा यादव को उपलब्ध करायी गयी जिसका सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर उनके द्वारा अपनी संस्तुति आख्या उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ को उपलब्ध करायी गयी तथा उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ द्वारा अभिलेखो का परीक्षण कर अपनी संस्तुति आख्या पत्रावली अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी गयी जिसका विवरण निम्नवत हैः–

भवन की संरचनाः– कुल प्लाट एरिया–32,050.00 वर्ग मी0 जिसमे प्रस्तावित 10 अदद टावरों की अनापत्ति प्रमाण पत्र पूर्व मे इस कार्यालय के समांक पत्र दिनांकः मार्च 2016 मे निर्गत की गयी है, वर्तमान मे कतिपय संशोधन किये गये है, जिनका फ्लोरवाईज एरिया विवरण निम्नवत हैः–

क्रमांक	नाम टावर	तलों की संख्या	भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी0।	टिपिकल कवर्ड एरिया वर्ग मी0।	ऊँचाई मी0।
1	टावर सन–1	02बेस0,स्टिल्ट/भूतल एवं 26 तल	892.01	586.90	82.70
2	टावर सन–2	02बेस0,स्टिल्ट/भूतल एवं 24 तल	702.00	466.20	76.70
3	टावर सन–3	02बेस0,स्टिल्ट/भूतल एवं 24 तल	814.43	553.44	76.70
4	टावर सन–4	02बेस0,स्टिल्ट/भूतल एवं 26 तल	651.32	460.02	82.70
5	टावर सन–5	02बेस0,स्टिल्ट/भूतल एवं 25 तल	638.67	454.20	79.70
6	टावर सन–6 एवं 7	02बेस0,स्टिल्ट/भूतल एवं 25 तल	712.96 प्रत्येक।	487.14 प्रत्येक।	79.70
7	टावर सन–8	02बेस0,स्टिल्ट/भूतल एवं 26 तल	781.20	553.44	82.70
8	टावर सन–9	02बेस0,स्टिल्ट/भूतल एवं 25 तल	776.97	567.00	79.70
9	टावर सन–10	02बेस0,स्टिल्ट/भूतल एवं 27 तल	819.23	561.43	85.70
10	कामर्शियल	भूतल/स्टिल्ट एवं 01 तल	890.42	850.60/429.81	07.50
11	कम्यूनिटी	भूतल/स्टिल्ट एवं 03 तल	248.11	248.11	12.50

बेसमेन्टः– प्रश्नगत भवन मे डबल बेसमेन्ट प्रस्तावित है, जिसमे लोवर बेसमेन्ट कवर्ड एरिया–12,201.00 वर्ग मी0 एवं अपर बेसमेन्ट कवर्ड एरिया–27,350.03 वर्ग मी0 है। तथा बेसमेन्ट की छत अग्निशमन वाहनों की आवश्यकताओं हेतु 45 टन भार वहन क्षमता की बनायी जानी अनिवार्य होगी।

भवन का अधिभोग विवरणः– प्रस्तावित भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेन्ट (एन0बी0सी–2005 आवसीय श्रेणी ए0–4) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्थाः–

1–पहुँच मार्गः–भूखण्ड के सामने मानचित्रों मे रोड की चौडाई 60 मी0 मानको के अनुसार अंकित की गई है, जो भवन विनियमावली के मानको के अनुसार है।

2–प्रवेश द्वारः– प्रश्नगत भवन मे प्रवेश/निकास द्वार जिनकी चौडाई 09.00 मी0 एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्रस्तावित है।

3–सैटबेकः–प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत हैः–

ए0–अग्रभाग–20.00 मी0।

बी0–पृष्ठ भाग–09.00 मी0।

सी0–पार्श्व भाग प्रथम–20.00 मी0।

डी0–पार्श्व भाग द्वितीय–09.00 मी0 प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार भवन विनियमावली मानको के अनुसार है जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमे किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य अनुमन्य नही होगा तथा टावरो के चारो ओर 09.00 मीटर का मोटरेबुल हार्ड सरफेस युक्त खुला स्थान रखा जाना अनिवार्य है।

4–निकास मार्गः– प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर मे 02 स्टेयरकेस जिनकी चौडाई 01.50 मी0 प्रत्येक प्रस्तावित है, तथा बेसमेन्ट मे 02 अदद रैम्प प्रस्तावित है। जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है तथा एक स्टेयर को फायर टावर के रूप मे निर्मित किया जायेगा।

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
उ0प्र0 लखनऊ

इण्टरनल स्टेयकेस का निर्माण एन0बी0सी0 के भाग–4 के बिन्दु संख्या–4.9 से 4.9.10 तक तथा एक्सटरनल स्टेयरकेस का निर्माण एन0बी0सी0 के भाग–4 के बिन्दु संख्या–4.11 से 4.11.11 तक के अनुसार एवं रैम्प का निर्माण एनबी0सी0 के भाग–4 के बिन्दु संख्या–4.14.1 से 4.14.3 के अनुसार किया जायेगा।

5–रिफ्यूज एरिया:– भवन मे रिफयूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट पर बालकनी का प्राविधान है जो एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

घ–अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:– प्रश्नगत भवन मे एन0बी0सी0 2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाऐं कराया जाना प्राविधानित है।

1–भूमिगत:–प्रश्नगत भवन मे 2,85,000 दो लाख पिच्चासी हजार लीटर क्षमता के 02 अदद भूमिगत टैंक एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

2–पम्पस:–प्रत्येक भूमिगत टैंक के पास 2850 एल0पी0एम0 क्षमता के 02 अदद मेन पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 01 अदद जौकी पम्प मानको के अनुसार स्थापित कराये जाने प्राविधानित है।

3–टेरिस टैंक:–प्रत्येक टावर की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 10,000 दस हजार ली0, स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

4–होजरील:–प्रस्तावित भवन मे प्रत्येक टावर के प्रत्येक तल पर होजरील, लैण्डिंग वाल्व एन0बी0सी0 मानको के अनुसार प्राविधानित है।

5–वेटराईजर:– प्रस्तावित भवन मे 150 एमएम का वेटराइजर एन0बी0सी0 एवं भारतीय मानक ब्यूरो आई0एस0–3844 मानको के अनुसार प्राविधानित है।

6–यार्ड हाईड्रेण्टस:– प्रस्तावित भवन रिंग लाइन एवं उस पर यार्ड हाईड्रेण्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट का मानको के अनुसार प्राविधानित है।

7–आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम:– बेसमेन्ट सहित सम्पूर्ण भवनों के समस्त टावरों मे ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 एवं सम्बन्धित मानको के अनुसार प्राविधानित है।

9–आटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम:–सम्पूर्ण भवनों के समस्त टावरों मे ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

10–मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:– सम्पूर्ण भवनों के समस्त टावरो मे मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

11–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):– प्रस्तावित भवन मे निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0– 2190 के अनुसार वॉच्छनीय है।

12–स्मोक एक्स्ट्रेंक्शन:– प्रश्नगत भवन मे स्मोक एक्स्ट्रेक्शन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

13–एग्जिट साईनेज:– सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे एग्जिट साईनेज एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

13–पी0ए0 सिस्टम:– सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

14–कम्पार्टमेन्टेशन:– प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट मे कम्पार्टमेन्टेशन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

15–प्रेशराईजेशन:– प्रश्नगत भवन मे आवश्यक स्थानों पर प्रेशराईजेशन **एनबी0सी0 के भाग–4 के बिन्दु संख्या–4.10 से 4.10.7** के निर्देशानुसार किया जायेगा।

16–प्रश्नगत भवन मे इमरजेन्सी/स्केप लाईटिंग एन0बी0सी0–2005 पार्ट–4 मे उल्लेखित प्राविधानों के अनुसार कराया जाना आवश्यक होगा।

17–भवन मे निर्माण के पश्चात व उपयोग से पूर्व भवन मे अधिष्ठापित अग्निशमन प्रणाली के कुशल संचालन व सदैव कार्यशील बनाये रखने हेतु एन0बी0सी0 पार्ट–4 के प्रस्तर सी0–5,सी–6,सी–7,सी–8 एवं सी–9 मे उल्लेखित मानको का पालन अनिवार्य होगा।

18–भवन के सम्पूर्ण अग्निशमन प्रणाली फायर लिफट, स्टेयरकेसों व कोरीडोर की लाइटों को वैकल्पिक उर्जा श्रोत से पृथक विद्युत लाइन संयोजित किया जाना आवश्यक होगा।

अतः उपरोक्तानुसार उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ/ सहारनपुर परिक्षेत्र, अग्निशमन अधिकारी/मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर की संस्तुति आख्याओं के आधार पर प्रश्नगत भवन मैसर्स एस0जे0पी0 होटल रिसोर्टस प्रा0 लि0 (मिगसन विन) द्वारा प्लाट न0 जी0एच0–01बी0(1), सेक्टर ईटा–02, ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्वनगर मे प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग भवन भवन (टावर सन–1,2,3,4,5,6,7,8,9, एवं 10) कुल 10 टावरों के निर्माण हेतु संशोधित प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 एवं तत्समय पृवत्त किसी अन्य विधि मे उल्लेखित मानको के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: मानचित्र।

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस,
उ0प्र0 लखनऊ।

प्रतिलिपि: 1–उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
2–मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
3–अग्निशमन अधिकारी सूरजपुर ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
4–मैसर्स एस0जे0पी0 होटल रिसोर्टस प्रा0 लि0 द्वारा प्लाट न0 जी0एच0–01बी0(1), सेक्टर ईटा–02, ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्वनगर को उक्त के सन्दर्भ मे अनुपालनार्थ।